न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 190/2018

अनवान :

1. प्रदीप कुमार
2. सुशिल कुमार

पुत्रान बनवारीलाल जाति जाट निवासीगण घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

- वादीगण

बनाम

1. बनवारीलाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

- असल प्रतिवादी

2. रामचन्द्र पुत्र रामेश्वरलाल जाति खाती निवासी कणाऊ।
3. होसियारसिंह पुत्र ओप्रकाश जाति जाट निवासी कणाऊ।
4. गोपीराम पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी नूंवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5. राजेश्वर पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकराररहक व रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधिनियम1955

उपस्थिति : वकील श्री रामस्वरूप देहडू : वादीगण

वकील श्री अमित देहडू : **प्रतिवादी सं0 1**

निर्णय **दिनांक :** 30.8.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही गांव घेऊ के खाता सं0 14/17 के खसरा सं0 671 की 2.7820 है0, खसरा सं0 671/1 की 3.2640 है0, खसरा सं0 708 की 1.8080 है0, खसरा सं0 730 की 2.4910 है0 कुल खसरा सं0 4 की 10.3420 है0 बारानी कृषि भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी बनवारीलाल 4.280 है0 व रामचन्द्र की 0.380 है0, होशियारसिंह 0.253 है0, गोपीराम 0.253 है0 व रामेश्वर की 5.1725 है0 के खातेदार काश्तकार दर्ज है जो कि वादीगण की पुरानी पुश्तैनी दादालाई कृषि भूमि है। परन्तु प्रतिवादी बनवारीलाल व रामेश्वरलाल परिवार के कर्ता होने के कारण वादीगण के दादा इन्द्राज की मृत्यु के पश्चात् उक्त कृषि भूमि में बनवारीलाल व उसके भाई रामेश्वर के नाम दर्ज हो गई, जबकि वादीगण का बनवारीलाल के नाम दर्ज कृषि भूमि में जन्म से हक हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 2 ता 6 को तर्क किया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा(हनु.)

साक्ष्य वादीगण में वादी प्रदीप कुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम घेऊ खाता सं0 14/17 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम घेऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा में वाद भूमि दादालाई पुश्तैनी कृषि भूमि होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादीगण ने जो सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम घेऊ खाता सं0 14/17 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1 प्रदर्शित करवाई है उसमें पूर्व की प्रविष्टि वादीगण के दादा इन्द्राज वल्द चुन्नीराम के नाम से दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पुश्तैनी कृषि भूमि होना साबित है एवं प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 में बनवारीलाल के वारिसान में पत्नि कान्ता देवी व दो पुत्र प्रदीप कुमार व सुशील कुमार होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादीगण साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही गांव घेऊ के खाता सं0 14/17 के खसरा सं0 671 की 2.7820 है0, खसरा सं0 671/1 की 3.2640 है0, खसरा सं0 708 की 1.8080 है0, खसरा सं0 730 की 2.4910 है0 कुल खसरा सं0 4 की 10.3420 है0 बारानी कृषि भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम 4.280 है0 कृषि भूमि दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल के बजाय वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 तीनों बहिस्सा बराबर के के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही कृषि भूमि उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.8.18........ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (ह0)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 190/2018

अनवान :

1. प्रदीप कुमार
2. सुशिल कुमार

पुत्रान बनवारीलाल जाति जाट निवासीगण घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

– वादीगण

बनाम

1. बनवारीलाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

– असल प्रतिवादी

2. रामचन्द्र पुत्र रामेश्वरलाल जाति खाती निवासी कणाऊ।
3. होसियारसिंह पुत्र ओप्रकाश जाति जाट निवासी कणाऊ।
4. गोपीराम पुत्र मोहनलाल जाति महाजन निवासी नूंवा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5. राजेश्वर पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी घेऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री रामस्वरूप देहड़ू एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 श्री अमित देहड़ू की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की ज़ाती है कि रोही गांव घेऊ के खाता सं0 14/17 के खसरा सं0 671 की 2.7820 है0, खसरा सं0 671/1 की 3.2640 है0, खसरा सं0 708 की 1.8080 है0, खसरा सं0 730 की 2.4910 है0 कुल खसरा सं0 4 की 10.3420 है0 बारानी कृषि भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी बनवारीलाल के नाम 4.280 है0 कृषि भूमि दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 बनवारीलाल के बजाय वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 तीनों बहिस्सा बराबर के के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही कृषि भूमि उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.8.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर R.A.S.
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़